मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन

M. P. W. L. C.

प्रधान कार्यालय – ऑफिस काम्पलेक्स, ब्लॉक "ए" गौतम नगर, भोपाल

फोन नं-0755-2600507, 2600419 फेक्स नं 0755-2600507

क्रं./मप्रवेलॉका/गु.नि./कीटोपचार/2017-18/ 740 **भोपाल, दिनांक** 04 MAY 2017

–: परिपत्र :–

विषयः– **संयुक्त भागीदारी योजना 2017–18 अंतर्गत मात्र गैर WDRA निजी वेअरहाउस संचालको को DESS योजनान्तर्गत रियायती दर पर कीटोपचार हेतु कीटनाशक औषधि उपलब्ध कराते हुए तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करने विषयक।**

विषयान्तर्गत रबी विपणन वर्ष 2017–18 में शासन द्वारा उपार्जित गेहूँ की सुचारु भंडारण व्यवस्था के दृष्टिगत् संयुक्त भागीदारी योजना 2017–18 अंतर्गत मात्र गैर WDRA निजी वेअरहाउस संचालको को DESS योजनान्तर्गत रियायती दर पर कीटोपचार हेतु कीटनाशक औषधि उपलब्ध कराते हुए तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मुख्यालय के परिपत्र क्रं./मप्रवेलॉका/कीटोपचार/158 दिनांक 07.04.2017 के तहत रियायती दर पर कीटोपचार योजना लागू की गई हैं।

उल्लेखनीय हैं कि उक्त योजना में कितने गोदाम संचालक निगम से कीटापचार की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, की जानकारी यथासमय होना आवश्यक हैं, ताकि यथासमय आवश्यक कीटनाशक औषधियो की उपलब्धता संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

अतः उपरोक्त संबंध में उक्त योजना का लाभ लिये जाने हेतु अंतिम दिनांक 15.5.2017 तक निर्धारित की जाती हैं। उक्त दिनांक तक गैर **WDRA** योजना अंतर्गत अनुबंधित निजी वेअरहाउस संचालक उक्त योजना का लाभ लिये जाने संबंधी लिखित सहमति निगम के शाखा प्रबंधक को प्रदान कर उक्त योजना का लाभ ले सकते हैं। निर्धारित दिनांक 15.05.2017 के उपरान्त सहमति प्रदान करने वाले गैर **WDRA** योजना अंतर्गत निजी वेअरहाउस संचालको को उपरोक्त योजना का लाभ देय नहीं होगा।

(के.सी.गुप्ता)
प्रबंध संचालक

क्रं./मप्रवेलॉका/ गु.नि./कीटोपचार/2017-18/ 740 **भोपाल, दिनांक** 04 MAY 2017

प्रति :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. महाप्रबंधक (वाणिज्य), म.प्र.वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, मुख्यालय भोपाल, की ओर उपरोक्त संबंध में जे.व्ही.योजना ऑन लाईन प्रणाली के माध्यम से संबंधित गोदाम संचालको को SMS एवं ई–मेल के माध्यम से अवगत कराये जाने हेतु।
2. समस्त शाखा प्रबंधक, म.प्र.वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन,मध्यप्रदेश, उपरोक्त संबंध में विभिन्न माध्यमो से संबंधित गोदाम संचालको को अवगत कराते हुए निर्धारित दिनांक तक सहमति प्रदान करने वाले गोदाम संचालको की जानकारी क्षमता सहित दिनांक 17.05.2017 को क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित् करना सुनिश्चित करे, ताकि यथासमय कीटनाश्यक औषधियो की उपलब्धता संबंधी कार्यवाही की जा सके।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक/जिला प्रबंधक, म.प्र.वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, मध्यप्रदेश, उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे एवं उपरोक्तानुसार जानकारी संकलित कर अनिवार्यतः दिनांक 17.05.2017 तक मुख्यालय प्रेषित् करना सुनिश्चित करे।
4. उप महाप्रबंधक (आई.टी.), म.प्र.वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन,मुख्यालय भोपाल की ओर सर्वसंबंधितो को ईमेल एवं निगम वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्रबंध संचालक